निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास
उत्तराखण्ड

सशस्त्र सेना झंडा दिवस - ७ दिसम्बर

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड

ARMED FORCES FLAG DAY - 07 DECEMBER

2019

OUR FLAG

सशस्त्र सेना झण्डा दिवस कोष

सशस्त्र सेना झण्डा दिवस का महत्व

1. वर्ष 1949 से ही पूरे देश में 7 दिसम्बर का दिन हमारे उन शहीदों और सैंनिकों के सम्मान स्वरूप सशस्त्र सेना झण्डा दिवस के रूप में मनाया जाता है जिन्होंने देश की अखण्डता की रक्षा हेतु हमारी सीमाओं पर पूरी बहादुरी के साथ युद्व किया। एक बार नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था "मृत्यु किसी को शहीद नहीं बनाता है, देश के लिए अपनी जान न्योछावर करने से बड़ा और कोई कार्य नहीं हो सकता है " । शहीदों के प्रति हमारे कर्त्तव्य का यह अर्थ कतई नहीं है कि उन शहीदों की विधवाओं और बच्चों, जिन्हें वे पीछे छोड़ गए हैं, या सैनिक जो अपनी मातृभूमि की सेवा करते हुए, जख्मी हुए उनसे हमारा सरोकार नहीं हो।

2. राष्ट्रहित के लिए लड़े गए बहुआयामी युद्वों में जीत हासिल करना और सीमा पार से हो रही आतंकवादी तथा विद्रोही गतिविधियों का मुकाबला करते हुए, हमारी सशस्त्र सेनाएं अपने सैनिकों की बेशकीमती जिन्दगी आज भी न्योछावर कर रहे हैं। इसके अलावा अनेक सैनिक अक्षम भी हो रहे हैं। परिवार के मुखिया की आकस्मिक मृत्यु होने पर उसके परिवार के लोगों को जो मानसिक संताप सहन करना पड़ता है उसका अनुमान लगाना भी मुश्किल है। हमारे इन अक्षम हुए सैनिकों को देखभाल और पुनर्वास की आवश्यकता है जिससे वे अपने परिवार पर बोझ न बनें और एक गरिमामय जीवनयापन कर सकें। इसके अतिरिक्त कुछ भूतपूर्व सैनिक ऐसे भी हैं जो कैंसर, हृदय रोग इत्यादि गंभीर बिमारियों से पीड़ित हैं, उन्हें हमारी देखभाल और मदद की जरूरत है क्योंकि वह इलाज का महंगा खर्च सहन नहीं कर सकते।

3. हमारी सशस्त्र सेनाओं को युवा बनाये रखने की आवश्यकता के मद्देनजर हमें बड़ी संख्या में अपने सैन्य कर्मियों को 35 से 40 वर्ष के आयु में ही सेवामुक्त करना पड़ता है जबकि वे अपेक्षाकृत युवा, शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं और वे अनुशासन और नेतृत्व गुणों से परिपूर्ण होते हैं। हर वर्ष लगभग 60,000 रक्षा कार्मिक सेवानिवृत होते हैं। अतएव इन भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारजनों की देखभाल करना एक राष्ट्रीय दायित्व है।

4. इन्हीं वजहों से हम सशस्त्र सेना झण्डा दिवस मनाते हैं। इस दिन सेना, नौसेना और वायुसेना के कार्मिकों द्वारा की गई सेवाओं को याद किया जाता है। हमारे बहादुर शहीदों के आश्रितों और अशक्त हुए कार्मिकों के पुनर्वास और कल्याण को सुनिश्चत करना देश के सभी नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी है। झण्डा दिवस हमें इन दायित्वों को पूरा करने का अवसर प्रदान करता है। इस दिन सेना, नौसेना और वायुसेना के जिन जवानों ने देश के लिए बलिदान दिया उन्हें सुबह 11 बजे, दो मिनट का मौन रखकर, श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है।

5. इस दिन आम जनता से स्वेच्छापूर्वक योगदान इकट्ठा करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मिडिया के जरिये इस दिन का महत्व सभी को बताया जाता है। कुछ स्थानों पर सशस्त्र सेना फार्मेशन और यूनिटें रंगारंग कार्यक्रम, कार्निवाल और अन्य मनोरंजन कार्यक्रमों का भी आयोजन करती है। तीनों सेनाओं का प्रतिनिधत्व करने वाले लाल, गहरे नीले और हल्के नीले रंग के टोकन फ्लेग जिला सैनिक कल्याण कार्यालयों और राज्य सैनिक कल्याण निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये जाते हैं जिन्हें नागरिक गर्व से धारण कर स्वेच्छा से इस निधि में धन का योगदान करते हैं।

6. आम जनता/संस्थाओं से प्राप्त इस योगदान की राशि से उत्तराखण्ड सैनिक पुनर्वास संस्था, जिसके अध्यक्ष मा0 राज्यपाल महोदय हैं, के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य से संबंधित तीनों सेनाओं के शहीदों की विधवाओं उनके आश्रितों, जरूरतमन्द निशक्त, गैर पेंशन भोगियों, वृद्ध और अक्षम भूतपूर्व सैनिकों व उनके परिवारजनों तथा अनाथ बच्चों की शादी, शिक्षा, चिकित्सा, पुनर्वास आदि के लिए सहायता प्रदान की जाती है जिसका विवरण अग्रेत्तर पृष्ठों पर किया जा रहा है।

7. जनता द्वारा सशस्त्र सेना झण्डा दिवस निधि में धन दान वर्षभर किया जा सकता है। इस निधि में नागरिक दान राशि को नकद/ड्राफ्ट/चैक के माध्यम से अपने जिले के सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में नकद या **"सशस्त्र सेना झण्डा दिवस निधि"** के पक्ष में क्रास चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करवा सकते हैं । इसके अतिरिक्त दान दी जाने वाली राशि को सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास निदेशालय, 15सी, कालीदास रोड, हाथीबड़कला, देहरादून के **"सशस्त्र सेना झण्डा दिवस निधि"** के पक्ष में क्रास चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से भी जमा किया जा सकता है। दान दी गयी इस राशि पर आयकर विभाग से कर में छूट उपलब्ध है।

पूर्व सैनिकों/सैनिक विधवाओं एवं उनके आश्रितों के लिए उत्तराखण्ड सैनिक पुनर्वास संस्था निधि से चलायी जाने वाली योजनाऐं।

1. **छात्रवृत्ति**। सैनिक पुनर्वास संस्था द्वारा पूर्व सैनिकों के आश्रितों को निम्न छात्रवृत्तियां दी जा रही हैं:—

क0सं0	शिक्षा का स्तर	अंक प्रतिशत	प्रतिवर्ष धनराशि
(क)	**सामान्य शिक्षा**		
	(i)कक्षा 11 व 12 हेतु	पहाड़ी क्षेत्र 50 प्रतिशत मैदानी क्षेत्र 60 प्रतिशत	रू 3,000/—
	(ii)स्नातक कक्षाओं हेतु		रू 4,000/—
	(iii)स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु		रू 5,000/—
	(iv)पी.एच.ड़ी.,एम0फिल0 हेतु।		रू 10,000/—
(ख)	**तकनीकी/व्यवसायिक शिक्षा सर्टिफिकेट कोर्स** फिटर, वैल्डर, टर्नर, इलैक्ट्रीशियन/इलैक्ट्रॉनिक, वायरमैन, मैकेनिक, कटाई एवं सिलाई, प्लम्बर, ड्राफ्टमैन, पेन्टर, सर्वेयर, मोल्डर, हैन्डीक्राफ्ट एवं आफिस ऑटोमेशन, स्टेनोग्राफी, हिन्दी ट्रान्सलेटर,डी0ई0ओ0 एवं सैकेट्रियल सार्टीफिकेट कोर्सेज।	55	रू 4,500/—
(ग)	**डिप्लोमा कोर्सेज** माडर्न आफिस मैनेजमैन्ट, इन्फार्मेशन टैक्नोलोजी, कम्प्यूटर नैटवर्किंग एवं कम्यूनीकेशन, पॉलीटैक्निक कोर्सेज, फार्मेसी, आयुर्वेदिक, मेडिकल लैब टैक्नोलोजी, फैशन टैक्नोलोजी, वैट्रनरी टैक्नीसियन, बी.टी. सी./बी.पी.टी., होटल मैनेजमैन्ट एवं ऐरोव्युटिक्स व सैकेट्रियल डिप्लोमा कोर्सेज ।	60	रू 5,000/—

(घ)	**<u>डिग्री कोर्सेज</u>** बीएड / बीपी0एड / एमएड / एमपीएड बी0एस0सी0 / एम0एस0सी0 (कृषि / हार्टीकल्चर / होम साइन्स), फौरेस्ट्री, होस्पीटेलिटी इन्डस्ट्री, फारमेसी (ऐलोपैथी / आर्युवैदिक / होम्योपैथी), नर्सिग कोर्सेज, वैटनरी, बी.फार्मा / डी. फार्मा / एम. फार्मा, जर्नलिज्म, सी.ए., बायोटेक्नोलोजी, फिजियोथैरेपी,फैशन डिजाइन टैक्नोलोजी,एल.एल.बी. / एल.एल0एम0, बी.एच एम. (सी.टी.) / टूरिज्म / ट्रैवल, बी.बी.ए. / एम. बी.ए., बी.सी.ए. / एम.सी.ए.,पी.जी.डी.एम.।	60	रू 8,000 / –
(ङ)	इंजीनियरिंग कोर्स हेतु।	70	रू12,000 / –
(च)	मेडीकल कोर्स हेतु।	70	रू 15,000 / –

(छ) **<u>मेधावी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति</u> ।** पूर्व सैनिक एवं सैनिक विधवाओं के मेधावी आश्रित जो सामान्य शिक्षा में अव्वल हों को निम्नवत मेधावी छात्रवृत्ति अनुमन्य हैं :–

	अंक प्रतिशत	**प्रतिवर्ष धनराशि**
(i) इन्टरमीड़ियट कक्षाओं हेतु	80	रू 12,000 / –
(ii) स्नातक कक्षाओं हेतु	80	रू 15,000 / –
(iii) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु	70	रू 18,000 / –

(ज) **<u>पूर्व सैनिकों के अनाथ पुत्र / पुत्रियों हेतु छात्रवृत्ति।</u>** पूर्व सैनिकों के अनाथ पुत्र / पुत्रियों तथा सैनिक विधवाओं के पुत्र / पुत्रियों को निम्नवत छात्रवृत्ति अनुमन्य है :–

(i) कक्षा 1 से कक्षा 8 तक	33	रू 6,000–
(ii) कक्षा 9 से स्नातकोत्तर तक	33	रू 10,000 /

2. **प्रतिष्ठित पदों पर चयन होने पर प्रोत्साहन अनुदान।** सैनिक पुनर्वास संस्था द्वारा पूर्व सैनिकों के आश्रितों को निम्नवत प्रोत्साहन अनुदान दिये जा रहे हैं:–

(क)	एन.डी.ए./आई.एम.ए./ओ.टी.ए. में प्रवेश पाने वाले पूर्व सैनिकों, सैनिक विधवाओं तथा उनके आश्रितों को दिया जाने वाला प्रोत्साहन अनुदान।	20,000/– एकमुश्त
(ख)	सिविल सेवा, पीसीएस, मेडिकल, आईएचएम, आईआईटी, आईआईएम में प्रवेश पाने वाले पूर्व सैनिकों एवं सैनिक विधवाओं के आश्रितों को दिया जाने वाला प्रोत्साहन अनुदान।	रू 20,000/– एकमुश्त
(ग)	सैनिक कल्याण विभाग द्वारा संचालित भर्ती पूर्व प्रशिक्षण से प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त सेना, अर्द्धसैनिक बल तथा राज्य पुलिस में चयन होने पर दिया जाने वाला अनुदान।	रू 20,000/– एकमुश्त

3. **चिकित्सा अनुदान** ।

(क)	**सामान्य चिकित्सा अनुदान**। सामान्य चिकित्सा के अन्तर्गत एक पूर्व सैनिक एवं पूर्व सैनिक आश्रितों को जो पेंशनधारी न हो तथा भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली अंशदायी चिकित्सा योजना की पात्र न हों।	एक वर्ष में अधिकतम रू 10,000/–
(ख)	**विशेष चिकित्सा अनुदान।** इस योजना के अन्तर्गत पूर्व सैनिक एवं पूर्व सैनिक आश्रितों को जो पेंशनधारी न हो तथा भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली अंशदायी चिकित्सा योजना की पात्रता का योग्य न हो को, कैन्सर, हृदय प्रत्यारोपण, गुर्दे का प्रत्यारोपण, मस्तिष्क की शल्य चिकित्सा आदि हेतु आर्थिक सहायता दी जाती है।	कुल व्यय का 75 प्रतिशत या रू 1,00,000 जो भी कम हो।

4. **खेल हेतु प्रोत्साहन** । राज्य के पूर्व सैनिकों/सैनिक विधवाओं के बच्चों को खेलों के प्रति प्रोत्साहित किये जाने हेतु प्रदेश, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर में प्रतिभाग करने पर निम्नवत् प्रोत्साहन राशि दी जाती है :–

(क)	प्रदेश स्तर पर प्रतिभाग करने पर	रू 1,00000/–
(ख)	राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने पर	रू 2,00000/–
(ग)	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने पर	रू 4,00000/–

5. **वैवाहिक अनुदान** ।

(क)	पूर्व सैनिक विधवाओं की पुत्रियों/ पूर्व सैनिकों की अनाथ पुत्रियों (दो विधिक पुत्रियों तक) की शादी हेतु ।	रू 1,00,000/– एक मुश्त
(ख)	सैनिक विधवाओं द्वारा पुनर्विवाह करने पर । (धनराशी विधवा के नाम पर 5 वर्ष हेतु एफ0डी0 के रुप में प्रदान की जायेगी)।	रू 1,00,000/– एक मुश्त

6. **पैराप्लेजिक रिहेब्लिटेशन केन्द्र में आवासरत पूर्णरूप से (100 प्रतिशत) विकलांगों हेतु अनुदान** । प्रदेश निवासी अपंग पूर्व सैनिक या उनकी पत्नियॉ, भारत सरकार के संरक्षण में पुनर्वास हेतु चलाये जाने वाली निम्न संस्थाओं में प्रशिक्षण, स्वास्थ्य लाभ या पूर्ण रूप से वहीं वास कर रहे हों को निम्न अनुदान अनुमन्य है :–

(क)	पैराप्लेजिक रिहेविलिटेशन केन्द्र मोहाली	रू 1,00,000/–
(ख)	पैराप्लेजिक रिहेविलिटेशन केन्द्र किरकी	रू 1,000,00/–

7. **अन्य अनुदान** ।

(क)	**विकलांग पूर्व सैनिकों को प्रशिक्षण हेतु अनुदान।** राज्य के युद्ध विकलांग पूर्व सैनिकों को मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों से रोजगारपरक तथा कौशल विकास परक कोर्स करने हेतु अनुदान।	कुल व्यय अथवा रू 20,000 जो भी कम हो।
(ख)	**पूर्व सैनिकों को व्हील चेयर की सहायता।** अपंग पूर्व सैनिकों को उनके आवेदन के आधार पर व्हील चेयर संस्था द्वारा जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास अधिकारी के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी ।	–
(ग)	**जिला सैनिक कल्याण परिषद बैठक हेतु धनराशि।** पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों की समस्याओं के समाधान हेतु जनपद स्तर पर जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में जिला सैनिक कल्याण परिषद की बैठकों के आयोजन हेतु अनुमन्य धनराशि।	रू 5000/– प्रति बैठक
(घ)	**पूर्व सैनिकों द्वारा पुनर्वास हेतु लिए गए ऋण में छूट**। पूर्व सैनिक/अधिकारी द्वारा अपने पुनर्वास हेतु राष्ट्रीकृत बैंक, सहकारी बैंक, कृषि विकास बैंक या किसी अन्य सरकारी वित्तीय संस्थान से लिए गए ऋण (Term Loan) पर निम्न प्रकार की छूट प्रदान की जाती है :–	
	(i) 5,00,000/– तक – ऋण पर	10 प्रतिशत
	(ii) 5,00,000/– से ऊपर तथा 10 लाख तक के ऋण पर	शेष धनराशि पर 5 प्रतिशत
(ङ)	पूर्व सैनिकों की विधवाओं को सिलाई/बुनाई मशीन क्रय करने हेतु अनुदान :–	
	(i) सिलाई मशीन क्रय करने के लिए	रू 3,000/–
	(ii) बुनाई मशीन क्रय करने के लिए	रू 3,500/–

(च)	**दैवीय आपदा हेतु सहायता।** आर्थिक रूप से कमजोर व बेरोजगार पूर्व सैनिकों एवं सैनिक विधवाओं को दैवीय आपदा से निजी आवास जिसमें वह स्वंय वास करते हों, की 50 प्रतिशत से अधिक की क्षति पर, आर्थिक सहायता अनुमन्य, बशर्ते किसी अन्य श्रोत से आर्थिक सहायता प्राप्त न हुई हो।	रू 30,000/– एकमुश्त
(छ)	**प्री–कम–पोस्ट रिलीज ट्रेनिंग हेतु अनुदान।** सेना में कार्यरत सैनिकों को सेवानिवृत्त होने से एक वर्ष/छह माह पूर्व ही प्रशिक्षण दिया जाता है। सेवानिवृत्त तक प्रशिक्षण शुल्क डी0जी0आर, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा दिया जाता है। अगर यह प्रशिक्षण उनके सेवानिवृत्त होने के पश्चात भी जारी रहता है तो ऐसे पूर्व सैनिकों को संस्था द्वारा अनुदान दिया जाता है।	रू 500/– प्रतिमाह

केन्द्रीय सैनिक बोर्ड द्वारा सशस्त्र सेना झण्डा दिवस निधि के माध्यम से संचालित मुख्य योजनाओं का विवरण

क्र0स	योजना का नाम	लाभार्थी की श्रेणी	सहायता राशि (रूपये)
1.	गरीबी अनुदान	65 वर्ष से अधिक के तीनों सेनाओं के हवलदार या समकक्ष रैंक जिन्हें पेन्शन नही मिलती है ।	रू 4000/– प्रति माह
2.	शिक्षा अनुदान	तीनों सेनाओं के हवलदार या समकक्ष रैंक के सभी पेन्शन व गैर पेन्शन भोगियों के लड़के/ लड़कियों के लिए।	रू 1000/– प्रति माह
3.	100 प्रतिशत अशक्त बच्चों के लिए	तीनों सेनाओं के हवलदार या समकक्ष रैंक के सभी पेन्शन व गैर पेन्शन भोगियों के 100 प्रतिशत अशक्त लड़के/लड़कियों को अनुदान।	रू 1000/– प्रति माह
4.	मकान मरम्मत अनुदान	तीनों सेनाओं के हवलदार या समकक्ष रैंक के सभी पेन्शन व गैर पेन्शन भोगियों को मकान मरम्मत के लिए	रू 20000/– अधिकतम एक बार
5.	पुत्री के विवाह व विधवा के पुनर्विवाह के लिए अनुदान	तीनों सेनाओं के हवलदार या समकक्ष रैंक के सभी पेन्शन व गैर पेन्शन भोगियों की पुत्री के विवाह अथवा विधवा के पुनर्विवाह पर अनुदान।	रू 50000/– अधिकतम (एक बार)
6.	दाह संस्कार अनुदान	तीनों सेनाओं के हवलदार या समकक्ष रैंक के सभी पेन्शन व गैर पेन्शन भोगियों की मृत्यु पर दाह संस्कार के लिए।	रू 5000/– (एक बार)
7.	चिकित्सा अनुदान	तीनों सेनाओं के हवलदार या समकक्ष रैंक के सभी पेन्शन व गैर पेन्शन भोगियों के लिए।	रू 30000/– अधिकतम
8..	अनाथ अनुदान	तीनों सेनाओं के हवलदार या समकक्ष रैंक के सभी पेन्शन व गैर पेन्शन भोगियों के अनाथ बच्चों के लिए अनुदान । यह अनुदान भूतपूर्व सैनिकों की पुत्रियों को विवाह होने अथवा 21 वर्ष की आयु में जो पहले हो, तक दिया जाता है।	रू 1000/– प्रति अनाथ बच्चा प्रति माह
9.	व्यावसायिक प्रशिक्षण अनुदान	तीनों सेनाओं के हवलदार या समकक्ष रैंक के सभी पेन्शन व गैर पेन्शन भोगियों की विधवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु।	रू 20000/– (एक बार)

10.	गम्भीर बीमारियों के उपचार हेतु अनुदान	हृदय रोग, ज्वाइन्ट रिप्लेसमेन्ट आदि गम्भीर बिमारियों के उपचार के लिए।	कुल खर्च का अधिकारी वर्ग के लिए 75 प्रतिशत व अन्य वर्ग को 90 प्रतिशत जो अधिकतम रू 1.25 लाख तक हो सकता है।
11.	डायलिसिस तथा कैंसर के लिए अनुदान	डायलिसिस तथा कैंसर आदि गम्भीर बिमारियों के उपचार लिए अनुदान।	प्रत्येक वित्त वर्ष में कुल खर्च का अधिकारी वर्ग के लिए 75 प्रतिशत व अन्य वर्ग को 90 प्रतिशत जो अधिकतम रू 75000/– तक हो सकता है।
12.	परिष्कृत स्कूटर अनुदान	75 प्रतिशत या इससे अधिक अशक्त भूतपूर्व सैनिक जो महालेखाकर शाखा के योजना के लाभ से वंचित हैं को परिष्कृत स्कूटर खरीदने हूतु अनुदान।	रू 57500/– एक बार
13.	युद्व स्मारक छात्रावासों के लिए अनुदान	वर्तमान में देशभर के 36 युद्व स्मारक छात्रावासों में रह रहे बच्चों को आर्थिक सहायता ।	रू 1350/– प्रति पात्र की दर से
14.	अपंग भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास	(अ) मोहाली तथा किर्की स्थित अधरंगाघात कोन्द्रों में 118 अपंग सैनिकों के उपचार एवं पुनर्वास में सहायता	आवश्यकतानुसार
		(ब) भूतपूर्व सैनिकों तथा उनपर आश्रित कुष्ठ रोगों, टी0बी0 या अन्य संक्रामक रोगों से पीड़ित सदस्यों की देखभाल करने वाले तीन चेशायर होम को अनुदान।	आवश्यकतानुसार
15.	सैनिक विश्राम गृहों की स्थापना	भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को उनके पेंशनरी दावों, चिकित्सीय उपचार, कोर्ट आदि के लिए जिला मुख्यालय की यात्रा के दौरान अल्प कालिक ठहराव के लिए विशेष रूप से निर्मित सैनिक विश्राम गृहों के रख रखाव के लिए अनुदान	रू 50000/– प्रति विश्राम गृह प्रति वर्ष

स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छता संदेश
स्वच्छता ही सेवा है
धरती माता करे पुकार, आसपास का करो सुधार
जिला सैनिक कल्याण पुनर्वास
जनपद रुद्रप्रयाग

निदेशालय सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास
15 सी कालीदास मार्ग, हाथीबड़कला
देहरादून– 248001
फैक्सः 0135–2743773, फोनः 0135–2741481
बैबसाईट : www.sainikkalyan.org,
ईमेलः dskddn@gmail.com